छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर

क्र. 1563 /एफ–1–48/31/एस–2/2020, नवा रायपुर, दिनांक 25/03/2021

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– **दुर्ग जिले के विकासखंड–पाटन की घुघवा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर प्रणाली का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– 1. प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.–138/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/2020/7035, दिनांक 21.07.2020.
2. मुख्य अभियंता का पत्र क्रमांक–45/डी–2/मगोक/2020/10440, रायपुर दिनांक 02.09.2020.

––00––

राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग जिले के विकासखंड–पाटन की घुघवा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर प्रणाली का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 156.83 लाख (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख तिरासी हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता (61.44 हेक्टेयर) में 34.24 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 4.26 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 65.70 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}–सतही जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (3803) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं #97–निर्माण कार्य–003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 10.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

Recieved

आवक क्र. 1905 5.4.21

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
25/03/2021
(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

AARAA.199.doc.docx